कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 ( ) 2018/FCA/PCCF/CCFEDS-II Dated 5.2.2019

JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JODHPUR के द्वारा जोधपुर जिले एवं वन मंडल जोधपुर में Kudi Bhagtasani HB to Pali Link Road के निर्माण कार्य हेतु **0.3291** हेक्टयर वन क्षैत्र के अनारक्षण हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/16088/2015 पर दिनांक 5.03.2018 को रजिस्टर किया गया है।मुख्य वन संरक्षक जोधपुर द्वारा दिनांक 11.1.2019 को सूचना भिजवाने के उपरांत प्रस्ताव में पार्ट I, II एवं III प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव का पुर्नपरीक्षण किया गया जिनकी टिप्पणी निम्नानुसार है :–

A- Compliance of EDS Dated 28-9-2016 is awaited:

1. बिन्दु संख्या 2 की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में वनाधिकार प्रमाण पत्र (0.329 है0 हेतु) संलग्न किया गया है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 0.3291 है0 है अतः संशोधित वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है एवं ग्राम सभा कार्यवाही विवरण के स्थान पर ग्राम सभा की अनापत्ति संलग्न की गई है जिसमें वनाधिकार अधिनियम 2006 का कोई उल्लेख नही किया गया है।वनाधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
2. बिन्दु संख्या 4 की पालना के क्रम में सडक किनारे दीवार निर्माण का 1490000.00 का प्राकलन संलग्न किया गया है जो संबंधित मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित कराया जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 6 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक जोधपुर द्वारा गैर वन भूमि (2 बीघा ग्राम सालोडी पंचायत समिति मण्डोर एवं 1.10 बीघा ग्राम बाबडी पंचायत समिति बिलाडा कुल 3 बीघा 10 विस्वा भूमि की शर्त अधिरोपित की गई है इस हेतु यूजर ऐजेन्सी द्वारा शर्त की पालना हेतु कोई दस्तावेज (भूमि आरक्षित का आदेश, जमाबंदी) संलग्न नही किये गये है।
4. बिन्दु संख्या 7 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि के KML File, DGPS map & GT Sheet संलग्न नही किये गये है।

B- Additional information is to be required

1- उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित वन भूमि का कार्य आयोजना विवरण अंकित नही किया गया है।

2- उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में दुगने अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण की योजना संलग्न की गई है जबकि इसमें उप वन संरक्षक द्वारा चाही गई गैर वन भूमि 3 बीघा 10 विस्वा की क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है।

3- उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।

4- उप वन संरक्षक द्वारा उक्त प्रस्ताव वर्ष सितम्बर 2016 के बाद जनवरी 2016 में भिजवाया गया है अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मय प्रस्तावित वन भूमि की विधिक स्थिति का उल्लेख करते हुए संलग्न की जानी प्रस्तावित है।

5- उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में कोई विकल्प नही होने का प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।

6- उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के अतिरिक्त सूचनाओं में प्रस्तावित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन संलग्न नही है।

5. प्रसताव में संलग्न दस्तावेजो में प्रस्ताव संख्या, प्रस्ताव का नाम, प्रस्तावित वन भूमि, दिनांक अंकित नही है।

6. प्रस्तावित सडक का क्रास सेक्शन

7. प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों की इंडेक्सिंग नही की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक जोधपुर को निर्देशित किया जाता है।

6/2/19

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR